भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4154

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों में वृद्धि

4154. श्री गौरव गोगोईः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों में हालिया वृद्धि में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि के कम आय वाले व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों जैसी असुरक्षित जनसंख्या को असंगत रूप से प्रभावित न किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा रोगियों की संवहनीयता पर इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने और उपचार के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था है;

(घ) क्या सरकार दवा की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए कठोर मूल्य नियंत्रण तंत्र या अन्य नियामक हस्तक्षेप कार्यान्वित करेगी; और

(ङ) सरकार रोगियों की चिकित्सा लागत को कम करने के लिए जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): औषध विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-I में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित करता है। डीपीसीओ 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों को पिछले कैलेंडर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (सभी वस्तुओं) के आधार पर प्रति वर्ष 1 अप्रैल को या उससे पहले संशोधित किया जाता है। वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों में डब्ल्यूपीआई (सभी वस्तुओं) में वार्षिक परिवर्तन के आधार पर दिनांक 01.04.2024 से 0.00551% की वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए को विभिन्न दवा विनिर्माण/विपणन कंपनियों और उद्योग संघों से आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें उत्पादन की लागत में वृद्धि, सक्रिय

औषधीय सामग्री (एपीआई) की लागत में वृद्धि, विनिमय दर में परिवर्तन, कुछ फॉर्मूलेशन को बंद करने का अनुरोध आदि जैसे कारणों, जिससे मौजूदा दरों पर ऐसी दवाओं की आपूर्ति अव्यवहारिक हो गई, के आधार पर कुछ फॉर्मूलेशनों के मूल्य में वृद्धि करने संबंधी संशोधन का अनुरोध किया गया था। विस्तृत जांच के बाद, एनपीपीए ने 8 दवाओं के 11 फॉर्मूलेशनों की कीमत में वृद्धि को मंजूरी दे दी ताकि उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके ताकि संवेदनशील आबादी सहित आम जनता को बाजार में इन दवाओं की अनुपलब्धता के कारण महंगे विकल्पों की ओर रुख करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

अनुसूचित दवाओं (ब्रांडेड या जेनेरिक) के सभी विनिर्माताओं को अपने उत्पादों की बिक्री एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य (प्लस लागू माल और सेवा कर) के भीतर करनी होती है। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों दवाओं की कीमतों की निगरानी एनपीपीए द्वारा की जाती है। निगरानी गतिविधियां मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू), राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसी), बाजार नमूनों, बाजार आधारित डेटाबेस और फार्मा जन समाधान (पीजेएस) पोर्टल, सीपीजीआरएएमएस और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की जाती हैं। अधिप्रभारन के मामलों की निपटान एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

(ङ): सरकार ने जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ औषध के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों, दवा मध्यवर्ती और सक्रिय औषधीय सामग्री के लिए पीएलआई योजना, बल्क औषधि पार्क योजना, फार्मा-मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी योजना, देश भर में खोले गए जन औषधि केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50%-90% सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं का प्रावधान करना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एनएचएम के अंतर्गत निशुल्क दवाओं तक पहुंच में सुधार करने और सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर मरीजों के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निशुल्क दवा सेवा पहल (एफडीएसआई) को लागू कर रहा है।

*****